फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :- 181/2024

### रामसहाय बनाम सरकार

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 23.04.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अर्जुन सिंह राजावत हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है।<br>दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30.04.224 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू(जयपुर)<br>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) | |
| 30.04.2024 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 2643/1, 2645/1, 2646/1, 2647/1, 2649/1, 2650/1, 2652/1, 2653/1, 2654/1, 2655, 2656/1, 2659/1, 2660, 2665 कुल किता 14 कुल रकबा 1.10 है0 राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/4 हिस्सा निहित है, एवं खाता संख्या 719 पुराना 384 के खसरा नंबर 2650/2, 2651, 2652, 2658 कुल किता 04 कुल रकबा 0.62 है0 मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का नाम रामसहाय उर्फ रामेश्वर पुत्र दुला दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम रामसहाय माली पुत्र दुलाराम माली दर्ज होना बताया है।<br>प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में रामसहाय उर्फ रामेश्वर पुत्र दुला के नाम दर्ज चली आ रही है।<br>प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि रामसहाय माली पुत्र दुलाराम माली नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है।<br>अतः वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि रामसहाय उर्फ रामेश्वर पुत्र दुला एवं रामसहाय माली पुत्र दूलाराम माली एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामसहाय माली पुत्र दूलाराम माली दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू(जयपुर)<br>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) | |